

822 IN93

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

**CENTRALLY SPONSORED RURAL SANITATION
PROGRAMME**

LIBRARY
INTERNATIONAL REFERENCE CENTRE
FOR COMMUNITY WATER SUPPLY AND
SANITATION (IRC)

कार्यान्वयन हेतु सामान्य मार्गदर्शिकाएं

**GENERAL GUIDELINES
FOR
IMPLEMENTATION**



राजीव-गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
1993

**Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission
Ministry of Rural Development
Government of India
1993**

822-IN93-10885

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
**CENTRALLY SPONSORED RURAL SANITATION
PROGRAMME**

कार्यान्वयन हेतु सामान्य मार्गदर्शिकाएं

**GENERAL GUIDELINES
FOR
IMPLEMENTATION**



राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
1993

**Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission
Ministry of Rural Development
Government of India
1993**

विषय सूची

| विषय | पृष्ठ |
|---|-------|
| प्राक्कथन | |
| 1. प्रस्तावना | 1 |
| 2. उद्देश्य | 1 |
| 3. नीतियाँ | 2 |
| 4. कार्यक्रम के घटक | 3 |
| 5. सबसिडी की सीमा | 7 |
| 6. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन तथा राज्यों द्वारा इसके उपयोग हेतु मानदण्ड | 8 |
| 7. निषियों की रिलीज | 9 |
| 8. योजनाओं की लागत में वृद्धि की अनुमति नहीं | 10 |
| 9. संस्थागत व्यवस्था | 10 |
| 10. जिलों, खण्डों तथा गांवों का चयन | 11 |
| 11. योजनाओं की संस्थीकृति | 12 |
| 12. योजनाएँ तैयार करना | 12 |
| 13. वार्षिक कार्य योजना | 13 |
| 14. रख-रखाव | 13 |
| 15. निरीक्षण कार्यक्रम | 13 |
| 16. रिपोर्ट तथा विवरणियाँ | 14 |
| 17. कार्यक्रम का मूल्यांकन | 14 |

CONTENTS

| | SUBJECT | PAGE |
|-----|---|------|
| | FOREWORD | |
| 1. | Introduction | 1 |
| 2. | Objectives | 1 |
| 3. | Strategies | 2 |
| 4. | Programme Components | 3 |
| 5. | Extent of Subsidy | 7 |
| 6. | Criteria of Allocation of Central Assistance to States/UTs for Implementation of CRSP and its Utilisation by States | 8 |
| 7. | Release of Funds | 9 |
| 8. | Cost Escalation of the Schemes not allowed | 10 |
| 9. | Institutional Arrangements | 10 |
| 10. | Selection of Districts, Blocks and Villages | 11 |
| 11. | Sanction of Schemes | 12 |
| 12. | Shelf of Schemes | 12 |
| 13. | Annual Action Plan | 13 |
| 14. | Maintenance | 13 |
| 15. | Schedule of Inspections | 13 |
| 16. | Reports and Returns | 14 |
| 17. | Evaluation of the Programme | 14 |

अनुबन्ध

1. गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के लिये ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में मासिक प्रगति रिपोर्ट 15
2. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट 16
 - क. सामान्य 16
 - ख. गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के लिये अलग-अलग घरेलू शौचालय 17
 - ग. संस्थागत शौचालय 18
 - घ. महिलाओं के लिये ग्राम्य स्वच्छता परिसर 19
 - ङ. गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को मुहैया कराई गई अन्य स्वच्छता सुविधाएं 20
 - च. शूक शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलना 21
3. वार्षिक रिपोर्ट—ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 22

ANNEXURE

| | | |
|-----|--|----|
| I | Monthly Progress Report for Implementation of Rural Sanitation Programme for Households below the Poverty Line | 15 |
| II | Quarterly Progress Report for Implementation of Rural Sanitation Programme | 16 |
| | A. General | 16 |
| | B. Individual Household Latrines for Households below Poverty Line | 17 |
| | C. Institutional Latrines | 18 |
| | D. Village Sanitary Complex for Women | 19 |
| | E. Other Sanitation Facilities provided to persons below Poverty Line | 20 |
| | F. Conversion of Dry Latrines into Sanitary Latrines | 21 |
| III | Annual Report—Rural Sanitation Programme | 22 |

प्राक्कथन

ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और महिलाओं की गरिमा तथा गोपनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 1986 में एक केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका आशय राज्यों के प्रयासों में मदद करना था। कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु भूत-प्रतिभूत सबसिद्धी और आम जनता के लिए राज्यों में चल रही दर पर सबसिद्धी देना निश्चित हुआ था। कार्यक्रम की मार्ग दिशिकाएं राज्यों को 1986 में परिचालित की गई थीं।

2. राज्यों, यूनिसेफ और स्वयंसेवी संगठनों से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर भारत सरकार द्वारा मार्च, 1991 में कार्यक्रम में संशोधन किया गया था। व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए 95% की दर पर और आम जनता के लिए 80—90% की दर पर उदार सबसिद्धी मुहैया कराई गई थी। कार्यक्रम में ग्राम परिसर, जिसमें नहाने की सुविधाएं, हेण्डपम्प शौचालय, गन्दे पानी की निकासी की सुविधाएं, कपड़े धोने के चबूतरे आदि होते हैं, के निर्माण की भी व्यवस्था थी। परिव्यय के 5% तक की राशि को प्रशासनिक लागत तथा अन्य 10% को राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण, जनजागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। राज्यों द्वारा अपने निधियों में से योगदान को केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता के 1/5 तक सीमित रखा गया था।

3. कार्यक्रम में सितम्बर, 1992 में ग्रामीण स्वच्छता के बारे में हुई राष्ट्रीय संगठनी की सिफारिशों और आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई नीति के आधार पर और संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य महसूस की गई आवश्यकता का सृजन करना और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। सबसिद्धी के पैटन में परिवर्तन किया गया है और निजी घरों में शौचालय बनाने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए इसे 80% तक सीमित रखा गया है। केवल महिलाओं के लिए स्वच्छ परिसर बनाने के लिए सबसिद्धी 70% तक दी जाएगी। शेष 30% राशि पंचायतों/लामार्थियों द्वारा जुटायी जाएगी। ग्रामों में अन्य स्वच्छता सुविधाओं के लिए सबसिद्धी 50 प्रतिशत होगी, शेष लागत

FOREWORD

A Centrally Sponsored Rural Sanitation Programme (CRSP) was launched in 1986 with the objective of improving the quality of life of the rural people and to provide privacy and dignity to the women. This was intended to supplement the efforts of the States. The programme provided for 100% subsidy for construction of sanitary latrines for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and landless labourers and subsidy as per the rate prevailing in the States for the general public. The guidelines of the programme were circulated to the States in 1986.

2. Based on the feed back received on implementation of the programme from the States, UNICEF and voluntary organisations, the programme was revised by the Government of India in March 1991. For the construction of individual sanitary latrines, liberal subsidy at the rate of 95% for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and people below the poverty line and 80—90% for general public were provided. The programme also provided for construction of village complex with bathing facilities, handpumps, latrines, drainage facilities, washing platform etc. Upto 5% of the outlay could be utilised towards administrative cost and another 10% for training of masons, awareness and health education. The contribution by the States from their own funds was limited to one-third of the assistance received from the Central Government.

3. The programme has since been further revised based on the recommendations of the National Seminar on Rural Sanitation in September, 1992, and the strategy outlined in the Eighth Five Year Plan. The revised programme aims at generation of felt need and peoples' participation. The subsidy pattern has been changed limiting it to 80% for persons below the poverty line for individual household latrines. For exclusive sanitary complex for women, the subsidy will be limited to 70%, the balance 30% being the

पंचायतों द्वारा वहन की जाएगी। 3 प्रतिशत निधियों को प्रशासनिक लागत तथा 10 प्रतिशत को स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजागरूकता अभियानों, राजगीरों को प्रशिक्षण, महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर मांग के सृजन आदि पर इस्तेमाल किया जा सकता है। संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता की एक समेकित नीति तैयार करना है। स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए अपेक्षित सामान की सफ़ाई हेतु सैनेटरी के सामान की दुकानों की संकल्पना और प्रचार अभियान में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करना तथा कार्यक्रम को पूरा करना, कार्यक्रम के नए तत्व हैं। लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (काफ़र्ट) के अन्तर्गत गतिविधियों के लिए निर्धारित निधियों के अलावा कुल निधियों की कम से कम 10 प्रतिशत निधियाँ स्वयंसेवी संगठनों की मार्फत श्रेणीबद्ध की जानी है। सबसिडी की राशि को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

4. संशोधित कार्यक्रम की एक अन्य विशेषता एक माडल गाँव बनाना है जिसमें स्वच्छ शौचालय, भुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलाना, कूड़ा-करकट डालने के गड्डे, सोखता गड्डे, नालियाँ, गलियों में खड़जे, गाँव की संस्थाओं में स्वच्छ शौचालय, जोड़ड़ों, तालाबों की सफ़ाई, हैण्डपम्पों और पेयजल के अन्य स्रोतों के आसपास सफ़ाई जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

5. इसी बीच, स्वच्छ शौचालयों के विभिन्न स्वरूपों के बारे में तकनीकी ब्योरे और मार्गदर्शिकाएँ संकलित की जाएँगी और उन्हें राज्यों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को उनके इस्तेमाल और मार्गदर्शन के लिए भेजा जाएगा। तब तक कार्यान्वयन एजेंसियाँ, हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/विश्व बैंक द्वारा परिचालित टू-पिट पोरे फ्लश शौचालयों के लिए मार्गदर्शिकाओं का इस्तेमाल कर सकती हैं।

6. आशा है कि संशोधित मार्गदर्शिकाएँ लागू किए जाने से कार्यक्रम को अपेक्षित गति मिलेगी और योजना अवधि के दौरान परिव्यय में वृद्धि होने से समाज के कमजोर वर्गों को अधिक सुविधाएँ दी जा सकेंगी। मार्ग-दर्शिकाओं में सुधार के लिए सुझावों का, यदि कोई हों, स्वागत किया जाएगा।

हस्ता०/-

निर्मला बुच

नई दिल्ली, 24 जून, 1993

(सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार)

contribution by the Panchayats/beneficiaries. For other sanitation facilities in the village, the subsidy will be 50%, balance cost being met by the Panchayats. 3% of the funds can be utilised towards administrative cost and 10% for health education, awareness campaigns, training of masons, demand generation based on felt needs, etc. The revised programme aims at an integrated approach of rural sanitation. The concept of sanitary marts for supply of materials required for construction of sanitary latrines and involvement of voluntary organisations in publicity campaign and execution of the programme are also the new elements. At least 10% of the total funds are to be channeled through voluntary organisations, apart from the funds earmarked for activities under CAPART. The subsidy will be shared equally by the Central and the State Governments.

4. Another salient feature of the revised programme is to develop at least one model village covering facilities like sanitary latrines, conversion of dry latrine, garbage pits, soakage pits, drainage, pavement of lanes, sanitary latrines in village institutions, cleanliness in ponds, tanks, clean surrounding around handpumps and other drinking water sources.

5. In due course, technical details and guidelines on various types of sanitary latrines would be compiled and sent to the States and implementing agencies for their use and guidance. Pending this, the implementing agencies can make use of the Guidelines for two pit pour flush latrines circulated recently by the Ministry of Urban Development and UNDP/World Bank.

6. It is hoped that with the introduction of the revised guidelines, the programme will gain the desired momentum and result in better coverage of the weaker sections of the society with increased flow of outlay during the Plan period. Suggestions, if any, for improving the guidelines will be appreciated.

Sd/-

(Nirmala Buch)

Secretary

New Delhi, 24th June 1993. Ministry of Rural Development
Govt. of India

**आठवीं पंचवर्षीय योजना
(1992-93 से 1996-97)
के दौरान
केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
के कार्यान्वयन हेतु सामान्य मार्गदर्शिकाएं**

1. प्रस्तावना

1.1 स्वच्छता की संकल्पना में व्यक्तिगत सफाई, घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ जल, कूड़े-करकट का निपटान, मल-मूत्र का निपटान और गन्दे पानी की निकासी शामिल होने चाहिए। राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम में प्रत्येक घर समुचित बल देते हुए इन सभी को शामिल किया गया है। तथापि, अक्टूबर, 1986 में शुरू किए गए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्य बल मल-मूत्र के निपटान पर दिया गया है।

1.2 केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शिकाएं सबसे पहले नवम्बर, 1986 में जारी की गई थीं। मार्च, 1991 में, उसी वर्ष कार्यक्रम में संशोधन किए जाने के बाद मार्गदर्शिकाओं में संशोधन किया गया था।

1.3 केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को मार्च, 1993 में पुनः संशोधित किया गया है। अब जारी की जा रही मार्गदर्शिकाएं किए गए संशोधनों पर आधारित हैं। यथा-समय विभिन्न प्रकार के स्वच्छ शौचालयों के बारे में तकनीकी ब्यौरों और मार्गदर्शिकाओं को संकलित किया जाएगा और राज्यों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को इनके प्रयोग एवं मार्गदर्शन के लिए भेजा जाएगा। टूटिन-पिट-पोर-फ्लस शौचालयों पर शहरी विकास मंत्रालय तथा यू० एन० डी० पी०/विश्व बैंक द्वारा हाल ही में निकाली गई ऐसी एक मार्गदर्शिका वितरित की जा रही है। कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय कार्यान्वयन एजेंसियों को मान्यताप्राप्त तकनीकी गुणवत्ता वाले मानकों, विशिष्टताओं और मार्गदर्शिकाओं का इस्तेमाल करना चाहिए।

2. उद्देश्य

2.1 केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के उद्देश्य ये हैं :—

**GENERAL GUIDELINES FOR
IMPLEMENTATION OF
CENTRALLY SPONSORED RURAL SANITATION
PROGRAMME (CRSP)
DURING EIGHTH FIVE YEAR PLAN
(1992-93 to 1996-97)**

1. INTRODUCTION

1.1 The concept of sanitation should include personal hygiene, home sanitation, safe water, garbage disposal, excreta disposal and waste water disposal. The national sanitation programme covers all these with appropriate emphasis on each. However the main emphasis of Central Rural Sanitation Programme (CRSP) introduced in October 1986 has been on excreta disposal.

1.2 The guidelines for CRSP were first issued in November, 1986. These guidelines were revised in March, 1991, after the revision of the programme in this year.

1.3 CRSP has been again revised in March 1993. The guidelines now being issued are based on the revisions made. These are only in the nature of general guidelines. In due course technical details and guidelines on various types of sanitary latrines would be compiled and sent to the states and implementing agencies for their use and guidance. One such guideline on Twin Pit Pour flush latrines brought out recently by Ministry of Urban Development and UNDP/World Bank is being distributed. Implementing agencies should use standards, specifications and guidelines of recognised technical quality, while grounding the programme.

2. OBJECTIVES

2.1 The objectives of Central Rural Sanitation Programme are :

- (क) ग्रामीण जनसंख्या विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के लिए ग्रामीण जल सप्लाई के प्रयासों के साथ-साथ स्वच्छता सुविधाओं को तेज करना और धीरे-धीरे गन्दगी की स्थिति और पानी से होने वाली बीमारियों के फलस्वरूप बीमारी, रुग्णता और कमजोरी के कुचक्र को तोड़ना है।
- (ख) स्वयंसेवी संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके जन-जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा की मार्फत स्वच्छता की आवश्यकता का सृजन करना जिसके द्वारा स्वच्छ शौचालय बनाने और सरकारी सहायता पर कम निर्भर रहने में मदद करना।
- (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान सभी शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले स्वच्छ शौचालयों में बदलकर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना।
- (घ) अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कम लागत वाली उपयुक्त और सही प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देना।

3. नीतियां

3.1 नीतियां निम्नलिखित होंगी :-

- (1) गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों में से अधिक गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- (2) अन्य परिवारों को बाजारों जिनमें स्वच्छता सम्बन्धी सामान की दुकानें शामिल हैं, की मार्फत सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (3) चुनिंदा क्षेत्रों में गहन अभियान शुरू करना और ऐसे अभियानों के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना ताकि जहां कहीं संभव हो, अलग-अलग स्वच्छ शौचालय बनाए जा सकें।
- (4) जहां कहीं आवश्यक हो, महिलाओं के लिए अलग से स्वच्छता काम्पलैक्सों का निर्माण करना।
- (5) शौचालयों के स्थानीय तौर पर उपयुक्त और स्वीकार्य मॉडलों को प्रोत्साहन देना।

- (a) To accelerate coverage of rural population specially among the households below poverty line with sanitation facilities complementing the efforts in Rural Water Supply and slowly breaking the vicious circle of disease, morbidity and poor health resulting from insanitary condition and water borne diseases.
- (b) To generate felt need through awareness creation and health education involving voluntary organisations and Panchayati Raj Institutions helping thereby to establish sanitary latrines with lesser dependence on Govt. subsidy.
- (c) To eradicate manual scavenging by converting all existing dry latrines in rural areas into low cost sanitary latrines.
- (d) To encourage suitable cost effective and appropriate technologies to support the other objectives.

3. STRATEGIES

3.1 The strategies would be :

- (i) To provide subsidy to the poorer among the households below poverty line.
- (ii) To encourage other households to buy the facilities through markets, including sanitary marts.
- (iii) To launch intensive campaign in selected areas and to support such campaigns with infrastructural facilities to establish individual sanitary latrines wherever possible.
- (iv) To establish sanitary complexes exclusively for women wherever necessary.
- (v) To encourage locally suitable and acceptable models of latrines.

4. कार्यक्रम के घटक

4.1 कार्यक्रम के घटक निम्नलिखित अनुसार हैं :-

- (क) गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के लिए जहां कहीं मांग आती है, 80 प्रतिशत आर्थिक सहायता (सबसिडी) से अलग-अलग परिवारों के लिए स्वच्छ शौचालय बनाना।
- (ख) शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले स्वच्छ शौचालयों में बदलना।
- (ग) जहां कहीं घरों में पर्याप्त जमीन/स्थान नहीं है और जहां ग्राम पंचायतें रख-रखाव करने की इच्छुक हैं, महिलाओं के लिए हैंडपम्प, गुसलखाना, स्वच्छता तथा कपड़े धोने की पूर्ण सुविधाओं वाले ग्रामीण स्वच्छता परिसरों का निर्माण करना।
- (घ) स्वच्छता सम्बन्धी सामान की दुकानें खोलना।
- (ङ) नालियों, सोखता गड्ढों का निर्माण करके शुष्क तथा तरल मल का निपटान करके गांव में पूर्ण स्वच्छता का वातावरण बनाना।
- (च) व्यक्तिगत, घरेलू और पर्यावरणीय सम्बन्धी स्वच्छता सुविधाओं के लिए महसूस की जाने वाली आवश्यकता के सृजन हेतु जन-जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए गहन अभियान चलाना।

4.2 प्रत्येक घटक का संक्षिप्त ब्यौरा :-

4.2.1 अलग-अलग पारिवारिक शौचालयों का निर्माण।

4.2.1.1 एक गांव में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को 20 अथवा उससे अधिक के समूहों में अपने-अपने शौचालयों का निर्माण किए जान में सहायता दी जा सकती है। विशेष मामलों जैसे जहां-तहां स्थापित आदिवासी बस्तियों/गांवों में यह समूह 10 अथवा अधिक शौचालयों का भी हो सकता है।

4.2.2.2 शौचालय के निर्माण की इकाई लागत 2500 रुपए तक सीमित होनी चाहिए जिसमें से गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले चुने हुए लाभार्थियों को 80 प्रतिशत सहायता सबसिडी के रूप में दी जा सकती है। यदि इकाई लागत 2500 रुपए से

4. PROGRAMME COMPONENTS

4.1 The components of the programme are as under :

- (a) Construction of individual sanitary latrines for households below poverty line with subsidy (80%) where demand exists.
- (b) Conversion of dry latrines into low cost sanitary latrines.
- (c) Construction of exclusive village sanitary complexes for women by providing complete facilities for handpump, bathing, sanitation & washing on a selective basis where adequate land/space within the premises of the houses do not exist and where village panchayats are willing to maintain.
- (d) Setting up of sanitary marts.
- (e) Total sanitation of village through the construction of drains, soakage pits, solid and liquid waste disposal.
- (f) Intensive campaign for awareness generation and health education for creating felt need for personal, household and environmental sanitation facilities.

4.2 Brief details of each of the components :

4.2.1 Construction of Individual Household Latrines.

4.2.1.1 Construction of individual household latrines by persons below poverty line may be supported in cluster of 20 or more in a village. In exceptional cases like the dispersed tribal habitation/villages, the cluster may be even 10 or more.

4.2.2.2 The unit cost of construction should be limited to Rs. 2500/- of which 80% could be paid as subsidy to the selected beneficiaries below the poverty line. In case the unit cost exceeds Rs. 2500/-, the additional cost should be borne by the

beneficiaries or specific approval of the Government of India may be obtained before execution. Out of the total annual funds a minimum 20% should be earmarked for paying subsidy to the individual household from SCs and STs below the poverty line where the percentage of SC/ST population to total population below poverty line is less than 20%. Where the SC/ST population below poverty line is more than 20% of the total population below poverty line earmarking should be enhanced at least to match the percentage of SC/ST population.

4.2.2.3 Initiative and contribution of Local Panchayats/NGOs will be deciding factors in creating the demand specially from weaker sections like scheduled castes and schedule tribes. The local institutions should undertake identification of households, cost recovery and provide the necessary infrastructural and technical support to the programme. The beneficiaries should be given options to select the type of latrines depending on requirement, paying capacity etc. Government will arrange/help in arranging training of local masons/carpenters in an area (Block/Panchayat) who can then undertake the construction programme.

4.2.2.4 In the case of beneficiaries belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and released bonded labourers and allottees of ceiling surplus land, Bnudan land, additional funds can be channeled from JRY for subsidising construction of additional number of individual sanitary latrines. This activity may be taken up as one approved for expenditure under para 20.1 of JRY guidelines.

4.2.2.5 There are numerous types of sanitary latrines existing in our country. A few of them are listed below which are for adoption in different locations depending on soil conditions, water availability and preference of people.

- (i) Hand Flush type (also known as ESP, barapalli type latrine)
- (ii) Pour flush—Single pit type
- (iii) VIP latrine
- (iv) Twin pit pour flush latrine

4.2.2 शुष्क शौचालयों को बदलना

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शुष्क शौचालयों (जिनकी संख्या अनुमानतः 24 लाख है) को पोर फ्लश अथवा अन्य उचित प्रकार के शौचालयों में बदला जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को दी गई राष्ट्रीय प्राथमिकता को देखते हुए इसे उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सर्बिसडी का पैटर्न वही होगा जैसा कि अलग-अलग परिवारों के शौचालयों के मामले में है जिसे गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों तक सीमित रखा जाएगा।

4.2.3 महिलाओं के लिए ग्राम्य स्वच्छता परिसर

हालांकि विगत में सार्वजनिक शौचालय अधिक सफल नहीं रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में जहां अलग-अलग परिवारों के लिए शौचालय बनाना संभव नहीं है ग्रामीण महिलाओं द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को देखते हुए प्रायोगिक आधार पर महिलाओं के लिए अलग से ग्राम्य स्वच्छता परिसर बनाए जा सकते हैं। योजना अर्वाध के दौरान चुनिंदा गांवों में जहां पंचायत/धर्मार्थ संस्थाएं/गैर-सरकारी संगठन केवल महिलाओं के इस्तेमाल के लिए ग्राम्य परिसरों का निर्माण और रखरखाव करने की पेशकश करें, वार्षिक निधियों की 10% तक राशि सार्वजनिक शौचालय मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।

4.2.4 ग्रामीण स्वच्छता सामान की दुकानें

4.2.4.1 संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के स्वयंसेवी संगठन की मार्फत योजना को कार्यान्वित करके स्वच्छता सम्बन्धी सामान की दुकानों की संकल्पना की वैधता का सफल प्रदर्शन किया है। ग्रामीण स्वच्छता सामान की दुकानें वे दुकानें हैं, जो शौचालय और अन्य स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए अपेक्षित सामान बेचती हैं। इसके अतिरिक्त, इनके पास कम लागत वाले स्वच्छता सुविधाओं के विभिन्न डिजाइन होते हैं, जिन पर अनुमानित लागत दर्शाई गई होती है और साथ ही प्रशिक्षित राजगीरों की सूची भी होती है। ग्रामीण स्वच्छता सामान की दुकानें सेवा केन्द्रों के रूप में भी कार्य करती है। यूनीसेफ 2 लाख रुपए वार्षिक का कारोबार करने वाली प्रत्येक दुकान के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता देती है। दो वर्षों की अवधि के लिए 18,000 रुपए वार्षिक तक प्रबंधकीय सर्बिसडी दी जाती है। प्रचार आदि के लिए एक बार की सहायता के रूप में 12,000 रुपए दिए जाते हैं। राज्य सरकारें यूनीसेफ से सिफारिश करने के लिए केन्द्र सरकार के पास विशिष्ट प्रस्ताव भेज सकती हैं।

4.2.4.2 जहां ग्रामीण स्वच्छता सामान की दुकानें स्थापित करने के लिए यूनीसेफ की सहायता उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन केन्द्र सरकार की सहायता से

4.2.2 Conversion of dry latrines

All the dry latrines (estimated to number around 24 lakhs) in the rural areas should be converted into pour-flush or other suitable type of latrines. Top priority will be given to this in view of the national priority given to this programme. The pattern of subsidy will be same as in the case of individual household latrines, limiting it to households below poverty line.

4.2.3 Village Sanitation Complexes for Women

Though public latrines have not proved to be very successful in the past in view of the difficulties experienced by rural women in some areas, where individual household latrines are not feasible village sanitary complexes exclusively for women could be attempted on a pilot basis. Upto 10% of the annual funds can be utilised to provide public latrines in selected villages during the plan period, where the panchayats/charitable trusts/NGOs offer to construct and maintain village complexes exclusively for the use by women.

4.2.4 Rural Sanitary Marts (RSMs)

4.2.4.1 United Nations Children's Fund (UNICEF) have successfully demonstrated the validity of the concept of sanitary marts by implementing the scheme through voluntary organisation in Uttar Pradesh and other states Rural Sanitary Marts (RSMs) are outlets dealing with materials required for construction of latrines and other sanitary facilities. Besides, it also keeps the designs of various low cost sanitary facilities showing estimated cost and the list of trained masons. Rural Sanitary Marts also serve as service centres. UNICEF provides assistance of Rs. 50,000 for each Mart with turnover of Rs. 2 lakhs p.a. Managerial subsidy is provided upto Rs. 18,000 p.a. for a period of two years. One time assistance upto Rs. 12,000 is provided for publicity etc. Specific proposals may be sent by the State Govt. to Central Government for recommending them to UNICEF.

4.2.4.2 Where UNICEF assistance is not available for setting up RSM, the State Govts./UT Admns. can set up Rural Sanitary

कठिन क्षेत्रों में जहाँ स्वच्छता साधनों के लिए उचित विपणन सुविधाएं नहीं हैं, प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन/पंचायती राज संस्था की मार्फत ग्रामीण स्वच्छता सामान की दुकानें खोल सकते हैं। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को इस कार्य को करने के लिए उनकी क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर सांभधानीपूर्वक चुना जाना चाहिए।

4.2.5 गांवों में पूर्ण स्वच्छता

4.2.5.1 नालियाँ, सोखता गड्डों और शुष्क तथा तरल मल निपटान आदि जैसी अन्य स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था पंचायत में, जहाँ तक संभव हो सके, जवाहर रोजगार योजना अथवा नागरिक सुविधाओं के लिए किसी अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत की जानी चाहिए। जहाँ अन्य प्राथमिकताओं और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध न होने के कारण ऐसा करना संभव न हो तो इन सुविधाओं को केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत मुहैया किया जा सकता है।

4.2.6 आवश्यकता महसूस कराने हेतु अभियान

4.2.6.1 यह कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यद्यपि प्रचार के लिए सरकारी तंत्र कुछ हद तक लाभकारी हो सकता है, लेकिन प्रचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपेक्षित सुविधाओं के सृजन के बारे में एक मजबूत तैयार किया गया कार्यक्रम ही लोगों के स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है। प्रतिष्ठित स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों, जिनमें लोगों का विश्वास हो, को लोगों को आवश्यकता महसूस कराने के कार्य में लगाया जा सकता है। इन संगठनों का चयन उनकी अच्छी प्रतिष्ठा और उनके पास पहले से उपलब्ध पर्याप्त बुनियादी आधारभूत ढांचे के आधार पर किया जाना चाहिए। ये ब्यौरे फील्ड स्तर पर एकत्र किए जाने चाहिए। पर्यावरण में सुधार और लोगों को शौचालय हेतु आवश्यकता महसूस कराने के कार्य हेतु इन संगठनों का चुनाव स्पष्ट मानदण्डों जैसे अच्छे कार्य के वर्षों की संख्या, अच्छे काम की सीमा, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, भौगोलिक कवरेज की सीमा आदि पर आधारित होना चाहिए।

4.2.6.2 इन स्वैच्छिक संगठनों को लोगों को शौचालयों की आवश्यकता महसूस कराने तथा अलग-अलग स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराने के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए, कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को कवर करने हेतु परियोजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यद्यपि उन्हें प्रत्येक शौचालय के निर्माण हेतु 2,000 रुपये दिये जा सकते हैं किन्तु वे पर्यवेक्षण प्रसार, प्रचार-प्रसार हेतु खर्चों और महसूस की गई आवश्यकताओं के सृजन के रूप में इस इकाई लागत के 7.5 प्रतिशत के हकदार होंगे।

Marts with assistance from the Central Govt. through reputed Voluntary Organisation/Panchayati Raj Institution in difficult areas where proper marketing facilities for Sanitary Components do not exist. Such voluntary organisations should be carefully selected based on the assessment of their ability to carry out the task.

4.2.5 Total Sanitation of Village

4.2.5.1 Other Sanitation facilities such as drains, soakpits, solid and liquid waste disposals etc. should be taken up as far as possible under Jawahar Rozgar Yojna or any other programme for civic amenities in the Panchayat. Where this is not feasible due to other priorities and non-availability of adequate financial resources, the facilities can be taken up under CRSP.

4.2.6 Campaign for Creation of felt need

4.2.6.1 This is a very important aspect of the programme. While government machinery for publicity may be useful to some extent, a well orchestrated programme of publicity, health, education and creation of required facilities only can make any change in the attitude of the people. Support of the reputed local voluntary organisations, autonomous institutions, social political and religious organisations who carry conviction with the people can be enlisted in creating the felt need. These organisations should be selected for their reputation for good and adequate infrastructure already available with them. These details should be collected at the field level. These organisations should be selected for environment creation and generation of felt need based on clear norms such as number of years of good work, extent of good work, availability of infrastructure, extent of geographical coverage etc.

4.2.6.2 These voluntary organisations should be encouraged to prepare projects covering various components of the programme but with focus on generation of felt need and construction of individual sanitary latrines. While they could be paid at Rs. 2000 per latrine constructed, they will be entitled to 7.5 percent of this unit cost as supervision charges, expenses for publicity and generation of felt need.

4.2.6.3 इन संगठनों को अपनी गतिविधियों की जिला स्तरीय रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर नॉडल विभाग को प्रस्तुत करने चाहिए। इस प्रयोजन के लिये लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (काफर्ट) को सूचित करने वाले प्रपत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉडल विभाग को स्वैच्छिक संगठनों के अधीन कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रति माह करने चाहिए और प्रगति रिपोर्ट के साथ ऐसी समीक्षा की प्रति भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए।

5. सबसिडी की सीमा

5.1 कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त सबसिडी की सीमा तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों/पंचायत का योगदान निम्नानुसार है:

| मह | केन्द्र द्वारा सबसिडी | राज्य द्वारा सबसिडी | प्रयोक्ता/पंचायत द्वारा निर्माण |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| —गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले अल्प-अल्प परिवारों के लिए स्वच्छ शौचालय का निर्माण तथा शुद्ध शौचालयों को बदलना | 40% | 40% | 20% |
| —महिलाओं के लिए ग्रामीण परिसर | 35% | 35% | 30% |
| —नलियां तथा अन्य स्वच्छता सुविधाएं (जहां तक संभव हो, जगह-रोजगार योजना तथा अन्य निधियों में से पूरा किया जाए) | 25% | 25% | 50% |
| —अगरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिक्षा, मांग सृजन आदि | वार्षिक आबंटन के 10 प्रतिशत तक | | शून्य |
| —प्रशासनिक लागत | वार्षिक आबंटन के 3 प्रतिशत तक | | शून्य |

5.2 स्वच्छता सामान की दुकानों के लिये सहायता, इस प्रयोजन हेतु प्रति दुकान 50,000/- रुपये की आवर्ती निधि के रूप में ब्याज मुक्त ऋण तक सीमित होगी जिसकी वापसी-अदायगी तीन वर्ष के अन्त में की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त निधियां वास्तविक आवश्यकता के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों में से उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

4.2.6.3 These organisations should submit to the nodal department on the district level report of their activities in prescribed proformae. Proformae used for reporting to Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) could be used for this purpose. Nodal Department should review the progress of work under the voluntary organisation every month and send copy of such review along with progress report to Government of India.

5. EXTENT OF SUBSIDY

5.1 The extent of subsidy from Central/State Govt. and contribution from persons below poverty line/panchayat for various components of the Programme are as follows :

| Item | Subsidy by | | Contribution by user/ Panchayat |
|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|
| | Centre | State | |
| Construction of sanitary latrines and conversions of dry latrines for individual households below poverty line | 40% | 40% | 20% |
| Village complex for women | 35% | 35% | 30% |
| Drains and other sanitation facilities (as far as possible, to be met out of JRY and other funds) | 25% | 25% | 50% |
| Awareness campaigns, health education, demand creation, etc. | Upto 10% of annual allocation | | Nil |
| Administrative cost | Upto 3% of annual allocation | | Nil |

5.2 For sanitary marts, the assistance will be limited to an interest free-loan as revolving fund of Rs. 50,000/- per mart for the purpose, which would be repayable at the end of three years. Adequate funds for this purpose can be provided from the funds released to the States/UTs depending upon the actual need.

6. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के आर्बटन तथा राज्यों द्वारा इसके उपयोग हेतु मानदण्ड

6.1 (1) वार्षिक योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार आर्बटन किया जाएगा :—

(क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में गरीबी के प्रभाव को 50 प्रतिशत बल दिया जाए।

(ख) ग्रामीण जनसंख्या को 40% महत्व दिया जाए।

(ग) मान्यताप्राप्त पर्वतीय राज्यों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के आधार पर 10% महत्व दिया जाए।

6.2 इन निधियों में से—

(1) 72% निधियों को गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु सबसिडी का केन्द्रीय अंश देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(2) 10% निधियों को स्वच्छता परिसरों विकसित करने के लिए परिसरों के निर्माण हेतु अधिक सहायता देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(3) 10% निधियों को स्वच्छता शिक्षा/प्रचार तथा शौचालयों के लिए आवश्यकता महसूस कराने आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(4) 5% निधियों को नहाने का चबूतरा बनाने, कूड़ाकरकट गड्ढों का निर्माण करने आदि जैसे अन्य घटकों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(5) 3% निधियाँ स्टाफ, प्रशासन आदि के लिए खर्च की जा सकती हैं।

(6) कम से कम 10% निधियाँ गैर-सरकारी संगठनों की माफत शौचालयों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं।

(7) स्वच्छता सामान की दुकानें स्थापित करने के लिए केन्द्र और राज्य अंश में से पर्याप्त निधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

6. CRITERIA FOR ALLOCATION OF CENTRAL ASSISTANCE TO STATES/UTs FOR IMPLEMENTATION OF CRSP AND ITS UTILISATION BY STATES

6.1 (i) Funds available under Annual Plan will be allocated to the States/UTs in accordance with the following formula :

- (a) 50% weightage being given to incidence of poverty in States/UTs/
- (b) 40% weightage being given to rural population
- (c) 10% weightage being given to the recognised hill states and hilly areas on the basis of their population.

6.2 Of these funds,

- (i) Upto 72% can be utilised for giving Central share of the subsidy to construct individual sanitary latrines to households below poverty line.
- (ii) Upto 10% can be used for subsidising construction of sanitary complexes exclusively for women.
- (iii) Upto 10% for health education/motivation, creation of felt need etc.
- (iv) Upto 5% for construction of other components such as bathing platform, garbage pit etc.
- (v) Upto 3% for expenditure towards staff, administration etc.
- (vi) At least 10% of the funds may be utilised for construction of latrines through NGOs.
- (vii) Adequate funds from the Central and State share can be used to set up sanitary marts.

7. निधियों की रिलीज

7.1 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दो बराबर-बराबर किश्तों में रिलीज की जाएगी। पहली किश्त सामान्यतया प्रत्येक वर्ष अप्रैल में रिलीज की जाएगी। लेकिन पिछले वर्ष को छोड़कर शेष सभी पिछले वर्षों के लिए महालेखाकार से निर्धारित रिपोर्ट और विवरणियों तथा प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत न किए जाने तक अप्रैल में पहली किश्त की रिलीज को रोक लिया जाएगा। दूसरी किश्त की रिलीज निम्नलिखित शर्तों के अनुसार की जाएगी।

(क) केन्द्र से रिलीज की गई पहली किश्त के बराबर का अंशदान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों को उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) सितम्बर तक उपलब्ध संसाधनों का कम से कम 50% भाग (केन्द्र तथा राज्य द्वारा की गई रिलीजें तथा पिछले वर्षों की उपयोग न की गई शेष बची निधियों) का उपयोग कर दिया गया हो।

(ग) वार्षिक आबंटन की कम से कम 35% राशि का सितम्बर तक उपयोग कर लिया गया हो।

(घ) निर्धारित रिपोर्टों और विवरणियां, वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में महालेखाकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया हो।

(ङ) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्षों में की गई रिलीजों की कम से कम 85% राशि का उपयोग कर लिया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि पिछली बची हुई राशि वार्षिक आबंटन के 15% से अधिक हो तो निधियों की दूसरी किश्त रिलीज करते समय कटौती कर दी जाएगी।

(च) समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली अन्य शर्तें पूरी की गई हों।

7.2 केन्द्रीय सहायता रिलीज करते समय वर्ष के लिये उपलब्ध किए गए कुल आबंटन की तुलना में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास उपयोग न की गई उपलब्ध निधियों की मात्रा को ध्यान में रखा जाएगा। सामान्यतः वर्ष के लिए किए गए कुल आबंटन के 15% तक पिछली बकाया निधियों को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

7. RELEASE OF FUNDS

7.1 The central assistance shall be released to the States/UTs in two equal instalments. The first instalment will normally be released in April every year provided that the release of first instalment in April will be withheld till the prescribed reports and returns and certificates from Accountant General for all the previous years except for the year immediately preceding are submitted. The release of second instalment will be subject to the following conditions :

- (a) A matching contribution to the first instalment released from the centre is provided by the States/UTs to the implementing departments/agencies.
- (b) Utilisation of at least 50% of resources available (the releases made by the Centre and state plus carryover un-utilised funds from the previous years) by September.
- (c) Utilisation of at least 35% of annual allocation by September.
- (d) Receipt of prescribed reports and returns; A.G. certificate of actual expenditure.
- (e) Utilisation of at least 85% of the releases in the earlier years under CRSP and MNP. In other words, carryover of funds from earlier years in excess of 15% of the Annual allocation, will be deducted at time of release of 2nd instalment.
- (f) Other conditions that may be prescribed from time to time.

7.2 While releasing the Central assistance, the quantum of unutilised funds available with the States/UTs in relation to total allocation for the year shall be kept in view. Normally, a carry over of funds to the extent of 15% of annual allocation for the year will be allowed.

7.3 राज्या/संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता की समग्र राशि निष्पादन एजेंसियों को अविलम्ब तत्काल और केन्द्रीय निधियों के प्राप्त होने के एक महीने के भीतर रिलीज करनी होगी।

7.4 राज्य सरकारों द्वारा पंचायत अथवा ग्राम लाभार्थियों आदि से इस आशय का एक संकल्प प्राप्त किया जाना चाहिए कि वे अपना अंशदान देंगे।

7.5 नॉडल विभाग द्वारा मासिक आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

7.6 सम्बन्धित राज्य सरकार वित्तीय संस्थाओं से आसान ऋण प्राप्त करने को संभाव्यता का पता लगाएगी जो पंचायतों को अपने अंशदान का वित्त-पोषण करने/अतिरिक्त पारिवारिक शौचालयों, ग्राम काम्प्लेक्सों तथा ग्रामीण पर्यावरण में सुधार लाने के लिए अन्य स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण करने की लागत में हिस्सा देने हेतु दिए जा सकते हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण के लिये अपेक्षित पैन्स, ट्रेप्स तथा अन्य स्थानीय सामग्री के स्थानीय तौर पर उत्पादन के लिये उद्यमों को विकसित करने हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ सम्पर्क स्थापित किया जाएगा।

8. योजनाओं की लागत में वृद्धि की अनुमति नहीं

8.1 योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब की कोई आवश्यकता अथवा गुंजाइश नहीं है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हो जाती है। इसलिए बढ़ी हुई लागत के लिये केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत किन्हीं अतिरिक्त निर्धियों की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. संस्थागत व्यवस्था

9.1 कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग, सामान्यतः ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी ही होगी। जहां पर केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को दूसरे विभागों जैसे जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, वहां राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे समन्वय, निगरानी आदि के प्रयोजनों के लिये ग्रामीण विकास विभाग को भी शामिल करें। सम्पूर्ण कार्यक्रम की निगरानी का कार्य राज्य सरकार के एक चयनित नोडल अधिकारी और विभाग की देख-रेख में होना चाहिए। इस नोडल अधिकारी के अधीन एक निगरानी सैल स्थापित किया जाना चाहिए।

7.3 The States/UTs shall have to release entire amount of central assistance provided to them to the executing agencies immediately without delay and in any case within one month of the receipt of Central funds.

7.4 The State Govts. should ensure receipt of resolution from the panchayat or village beneficiaries etc. that they will contribute their share.

7.5 The implementation of the programme will be reviewed by the nodal department on a monthly basis.

7.6 The concerned State Government will explore the possibility of raising soft loans from financial institutions which can be given to the panchayats for financing their contribution/share of the cost of construction of individual household latrines, village complexes and other sanitary facilities to improve village environment. Linkages will be established with the IRD programme towards developing entrepreneurs for local production of pans, traps and other local material required for construction under the programme.

8. COST ESCALATION OF THE SCHEMES NOT ALLOWED

8.1 There is no need or scope for delay in implementation resulting in cost overrun. Hence no additional funds would be allowed under CRSP towards cost overrun.

9. INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

9.1 The agency implementing the Rural Development Programme shall normally be the nodal department to implement the Projects under this programme in order to ensure homogeneity in approach. Where CRSP is implemented through other departments like PHED, PWD, State Governments are requested to consider involving the Rural Development Department also for purposes of coordination, monitoring etc. The monitoring of the entire programme should be with one identified nodal officer and Department in the State Govt. A Monitoring Cell may be set up under this nodal officer.

9.2 ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र, राज्य, जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तरों पर और सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच उचित तालमेल की आवश्यकता है। केन्द्रीय स्तर पर सचिव (ग्रामीण विकास) अन्तर-मंत्रालय समिति के अध्यक्ष होते हैं। यह आवश्यक है कि राज्य स्तर पर भी एक अन्तर-मंत्रालय/विभागीय समिति गठित की जाये और नोडीय मंत्रालय/विभाग के सचिव इसके अध्यक्ष हों। स्वास्थ्य, शिक्षा पंचायत, ग्रामीण विकास, योजना तथा जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी, आदि ऐसे विभाग हैं जिन्हें समन्वयक गैर-सरकारी संगठनों सहित इस समिति में प्रतिनिधित्व देने हेतु शामिल किया जा सकता है। नोडीय विभाग के सचिव की सहायता हेतु एक तकनीकी सलाहकार समिति भी गठित की जानी चाहिए जिसमें गैर-सरकारी संगठनों, व्यावसायिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक उत्प्रेरकों आदि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। ऐसी समितियों पर होने वाले सभी प्रशासनिक खर्च को केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में प्रशासनिक खर्च हेतु किये गये प्रावधान में से वहन किया जाएगा।

10. जिलों, खण्डों तथा गांवों का चयन

10.1 कार्यक्रम को गहन रूप से कार्यान्वित करने हेतु शामिल किये जाने वाले जिलों, खण्डों तथा गांवों का चयन निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर किया जाएगा।

- (1) जिन जिलों, खण्डों तथा गांवों में विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों, जिनमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं, के लिए ग्रामीण जल सप्लाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है तथा जहां पर स्वच्छ शौचालयों की मांग है।
- (2) गहन कवरेज हेतु परियोजनायें बनाते समय उन मिनी मिशन जिलों, जिनमें जल सप्लाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम को समेकित करने का प्रयास किया जा रहा है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- (3) वे जिले जिनमें प्रतिष्ठित स्वैच्छिक एजेंसियां कार्य कर रही हैं।

9.2 For effective implementation of the programme of Rural Sanitation there is a need for proper coordination at Central, State, District, Block and villages levels and between Government and non-governmental agencies. At the central level Inter-Ministerial Committee is chaired by Secretary (RD). It is necessary that at the state level also an Inter-Ministerial/ Departmental Committee is formed with the nodal Ministry/ Department's Secretary as its chairperson. Health, Education Panchayat, Rural Development, Planning and Public Health Engineering are the departments who along with Coordinating NGOs may be considered for representation in that committee. A technical advisory committee to the Secretary of nodal department may also be constituted with adequate representation given to NGOs, professional organisations, social workers, social communicators etc. All the administrative costs of the meeting of such committees may be met out of the provision for administrative expenses in the CRSP.

10. SELECTION OF DISTRICTS, BLOCKS AND VILLAGES

10.1 The selection of the Districts, Blocks and Villages to be taken up for intensive coverage should be on the basis of the following criteria :

- (i) Districts, Blocks and villages where coverage under Rural Water Supply has been adequate particularly for weaker sections of the people, including scheduled castes and scheduled tribes and where there is a demand for sanitary latrines.
- (ii) Mini-Mission districts where integration of water supply and sanitation programme is being attempted should be given preference in preparing projects for intensive coverage.
- (iii) Districts where reputed voluntary agencies are working.

- (4) वे गांव जो जल तथा मल सुपेदा होने वाली बीमारियों की वजह से व्यापक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से ग्रस्ते हैं, जिन गांवों में महिलाओं के लिए स्वच्छता सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है अथवा जहां पर स्वच्छता सुविधायें जूटायें जाने के लिए महिलाओं की तरफ से मांग आई हुई है।
- (5) ऐसे गांव, जहां पर स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता पहले ही महसूस की जा रही है तथा वहां पर अन्य कार्यक्रम चल रहा है, ताकि अधिकतम कवरेज (संभवतः 100%) सुनिश्चित की जा सके।

10.2 समन्वित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष कम से कम एक मॉडल गांव विकसित करना चाहिए जिसमें स्वच्छ शौचालयों, शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने की व्यवस्था, कूड़ेदानों, सांख्ता गडदों, नालियों, गलियों के खंडजों, आंगनबाड़ियों में स्वच्छ शौचालयों, स्कूलों, पंचायत घरों, स्वास्थ्य केन्द्रों, धुआं रहित चूल्हों, तालाबों, टैंकों की सफाई, स्टैंड पोस्टों, हैंडपम्पों, स्वच्छ कुओं तथा चबूतरों जिसमें कपड़े धोने तथा नहाने का चबूतरा, नालियां आदि शामिल हैं, सहित अन्य पेयजल स्रोतों के आस-पास स्वच्छता सुविधायें मौजूद हों।

11. योजनाओं की संस्वीकृति

11.1 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार के पास अनुमोदित इकाई लागत जो कि 1993 की कीमतों के आधार पर ऊपरी ढांचा (सुपर स्ट्रक्चर), छत तथा दरवाजे सहित औसतन 2500/- रुपये से अधिक नहीं है, के भीतर परियोजनाओं को अनुमोदित करने की पूरी शक्तियां होंगी। इस लागत सीमा से अधिक राशि को लाभार्थी द्वारा वहन करना पड़ेगा जो कि उसके अंशदान के अतिरिक्त होगा। सरकारी सहायता वाली 2500/- रुपये से अधिक की लागत वाली योजनाओं के लिये केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्यों द्वारा एक बार मूल मानदण्ड अनुमोदित किये जाने पर कार्यान्वयन एजेंसी निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये इन मानदण्डों के आधार पर परियोजनाओं को दुबारा कार्यान्वित कर सकती हैं। सामान्यतः एक वर्ष में अनुमोदित की जाने वाली योजनायें वार्षिक आर्बंटन के 1.25 गुना से अधिक लागत वाली नहीं होनी चाहिए।

12. योजनाएं तैयार करना

12.1 राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले कार्यों के लिये निर्धारित मानदण्डों तथा नमूना मानदण्डों के अनुसार योजनाओं को तैयार

- (iv) Villages which have endemic health problems, resulting from water and excreta borne diseases, villages with no sanitary facility for women or where demand from women-folk exists.
- (v) villages where felt need has already been generated and there are other ongoing programme, in order to ensure maximum (possibly 100%) coverage.

10.2 Each state should develop at least one model village every year under integrated rural sanitation programme covering facilities like sanitary latrines, conversion of dry latrines, garbage pits, soakage pits, drains, pavement of lanes, sanitary latrines in Aanganwadies, schools, panchayat ghar, health centre, smokeless chullahs, cleanliness of ponds, tanks, clean surroundings around stand posts, handpumps, sanitary wells, and other drinking water sources with platform including washing and bathing platform, drains etc.

11. SANCTION OF SCHEMES

11.1 State Government would have full powers to approve the projects under this programme within the approved unit cost which on an average is not more than Rs. 2500 with superstructure, roof and door at 1993 prices. Any cost beyond this limit should be met by the user in addition to his share. Schemes with unit cost of more than Rs. 2500 with Govt. assistance would require prior approval of the Central Govt. Once the basic norms have been approved by the States, the implementing agency may take up implementation of replicative projects based on these norms, subject to the funds availability. Normally in a year the schemes to be approved should not exceed 1.25 times of the annual allocation.

12. SHELF OF SCHEMES

12.1 The State Governments/UTs shall prepare a shelf of schemes for works to be taken up under this programme

करेंगे। योजनायें बनते समय कार्यक्रम के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रख जायगा।

13. वार्षिक कार्य योजना

13.1 (1) राज्य सरकारें अनेक तैयार की गई योजनाओं के आधार पर तथा आवंटन की मात्रा और पिछले वर्ष की बक़या निधियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के अरंभ होने से एक माह पूर्व एक वार्षिक कार्य-योजना तैयार करेंगी। वार्षिक कार्य-योजना में प्रत्येक तिमाही के लिये प्रत्येक घटक के तहत निर्धारित लक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। कार्य योजना की एक प्रति भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए।

(2) कार्य योजना तैयार करते समय नये कार्यों को शुरू करने की अपेक्षा अधूरे कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शुरू किये गये कार्य समय पर पूरे किए जायें अन्यथा निष्पादन में देरी होने से लागत में वृद्धि हो जायेगी।

14. रख-रखाव

14.1 स्वच्छता सुविधाओं की उचित देख-रेख और रख-रखाव के लिए, समुदाय, विशेषरूप से परिवार के सभी सदस्यों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। परिवारिक स्वच्छ शौचालयों के रख-रखाव पर होने वाले खर्च को लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाना चाहिए जबकि महिलाओं के लिए स्वच्छता काम्पलेक्सों के रख-रखाव के खर्च को पंचायतों/स्वैच्छिक संगठनों/धर्मार्थ न्यासों द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

15. निरीक्षण कार्यक्रम

15.1 कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित फील्ड निरीक्षणों की मार्फत निगरानी की जानी आवश्यक है। निरीक्षण में यह जांच और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माण-कार्य मानदंडों के अनुसार किये गये हैं; कि निर्माण-कार्य में समुदाय को शामिल किया गया है; कि शौचालय कहीं जल स्रोतों को प्रदूषित तो नहीं कर रहे हैं तथा यह भी जांच की जानी चाहिए कि क्या लाभार्थियों का सही चयन किया गया है और निर्माण के पश्चात् शौचालयों का उचित उपयोग किया जा रहा है। ऐसे निरीक्षण में यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि स्वच्छ शौचालयों का किसी अन्य प्रयोजन हेतु इस्तेमाल न हो जैसा कि विगत में कई बार हुआ है।

conforming to the prescribed norms and design criteria. While preparing the schemes, the objectives and priorities of the programme shall be kept in view.

13. ANNUAL ACTION PLAN

13.1 (i) The State shall prepare an Annual Action Plan one month before the commencement of the year on the basis of the shelf of schemes and taking into account the size of the allocation as well as carry over funds. Annual Action Plan should indicate clearly targets under each component for each quarter. A copy of the Action Plan should be sent to Govt. of India.

(ii) While preparing the Action Plan, the completion of the incomplete works should be given priority over new works. It should be ensured that the works taken up are completed as per schedule to avoid cost escalation.

14. MAINTENANCE

14.1 It is essential to train the community, particularly all the members of the family in the proper upkeep and maintenance of the sanitation facilities. The maintenance expenses of individual household sanitary latrines should be met by the beneficiaries where as that of sanitary complexes for women may be at the cost of the panchayats/voluntary organisations/charitable trusts.

15. SCHEDULE OF INSPECTIONS

Monitoring through regular field inspections by officers from State level and district level is essential for the effective implementation of the programme. The inspection should be to check and to ensure that construction work has been done in accordance with the norms, that the community has been involved in construction, that the latrines are not polluting the water sources and also to check whether there has been correct selection of beneficiaries and proper use of latrines after construction. Such inspection should ensure that the sanitary latrines are not used for any other purpose, as has happened some times in the past.

16. रिपोर्टें तथा विवरणियां

16.1 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित रिपोर्टें तथा विवरणियां भेजी जाएंगी :-

- (क) वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली योजनाओं की वार्षिक कार्य-योजना संबंधित वर्ष के अप्रैल माह की 30 तारीख तक भेजी जाएगी।
- (ख) अनुबंध 1 के अनुसार अगले माह की 20 तारीख तक एक मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- (ग) अनुबंध 2 के अनुसार अगले महीने की 20 तारीख तक एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- (घ) वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त हुई उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध 3 के अनुसार आगामी वर्ष के मई माह के अंत तक भेजी जाएगी।

इन रिपोर्टों से प्राधिकारियों को केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर कार्य निष्पादन की प्रगति की निगरानी करने तथा उपयुक्त उपचारी उपाय करने में सहायता मिलेगी।

17. कार्यक्रम का मूल्यांकन

17.1 कार्यक्रम के कार्यान्वयन, प्राप्त परिणामों तथा इसके प्रभाव का दो वर्षों के अंत में मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसे मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर कार्यक्रम में कोई और संशोधन किये जा सकते हैं।

16. REPORTS AND RETURNS

16.1 The following reports and returns will be sent by the States/UTs.

- (a) An Annual Action Plan for the schemes to be taken up during the year shall be furnished by 30th April of the year to which it relates.
- (b) Monthly progress report will be furnished by the 20th of the succeeding month as at Annexure-I.
- (c) A quarterly progress report shall be furnished by the 20th of the succeeding month as at Annexure-II.
- (d) Annual Report of achievements under the programme during the year shall be furnished by the end of May of the succeeding year as at Annexure III.

These reports would enable authorities both at Centre and the State level to monitor the progress of the performance and to take appropriate corrective measures.

17. EVALUATION OF THE PROGRAMME

17.1 The implementation of the programme, results achieved and its impact will be evaluated at the end of two years. Any further modifications in the programme could be formulated based on the results of such evaluation.

अनुबंध-1

गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के लिये ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में मासिक प्रगति रिपोर्ट

राज्य का नाम :

महत्त्व _____ की रिपोर्ट

| क्रम | संख्या | मद | केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल |
|------|--------|----|---|----------------------------------|-----|
|------|--------|----|---|----------------------------------|-----|

1. निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या
 - क. सामान्य जनसंख्या
 - ख. अनुसूचित जातियां
 - ग. अनुसूचित जनजातियां
 - घ. कुल
2. किया गया व्यय (लाख रुपये में)
 - क. सामान्य जनसंख्या
 - ख. अनुसूचित जातियां
 - ग. अनुसूचित जनजातियां
 - घ. कुल

**Monthly Progress Report for Implementation of
Rural Sanitation Programme
for Households below the poverty line**

Name of the State :

Report for the Month of :

| S. No. | Item | CRSP | MNP | TOTAL |
|---------------|---|-------------|------------|--------------|
| 1. | No. of sanitary latrines Constructed | | | |
| | a. General population | | | |
| | b. SCs | | | |
| | c. STs | | | |
| | d. Total | | | |
| 2. | Expenditure incurred (Rs. In lakhs) | | | |
| | a. General population | | | |
| | b. SCs | | | |
| | c. STs | | | |
| | d. Total | | | |

राज्य/संघ क्षासित क्षेत्र का नाम :

_____ तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट

क. सामान्य

| मद | वार्षिक लक्ष्य संख्या | | | | | | | वर्ष के लिये बजट (लाख रुपये में) |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| | शामिल किए जाने वाले गांव | अलग अलग परिवारों में शौचालय | शुष्क शौचालयों को बदलना | संस्थागत शौचालय | महिलाओं के लिए ग्राम परिसर | अन्य स्वच्छता सुविधाएं जैसे नाले, सोह्ते, गड्डे आदि | लाभान्वित होने वाली जनसंख्या | |
| 1. 1. राज्य क्षेत्र का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | | | | | | | | |
| 2. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | | | | | | | | |

नोट : उपरोक्त सूचना केवल गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के संबंध में ही होनी चाहिए। यदि किसी अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से ऊपर बसर कर रहे लोगों के संबंध में कोई अन्य सूचना हो तो उसे अलग अनुबंध में दर्शाया जाना चाहिए।

Name of the State/UT :

Quarterly Progress Report for the Quarter :

A. GENERAL

| Item | Annual Target Nos. | | | | | | | Budget for the year |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| | Villages to be taken up | Individual household units | Conversion of dry latrines | Institutional latrines | Village complex for women | Other sanitation facilities such as drains, soak-pits etc. | Population to be benefitted | |
| 1. State Sector MNP | | | | | | | | |
| 2. CRSP | | | | | | | | |

N.B : The above information should be for persons below the poverty line only. In case there is any information for persons above the poverty line under any other programme, it should be shown in a separate ANNEXURE.

ख. गरीबी के रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के लिये अलग-अलग घरेलू शौचालय

| कार्यक्रम | शामिल किए गए गांवों की संख्या | लाभान्वित जनसंख्या | | | | लाभान्वित परिवार | | | | किया गया खर्च (रुपये) | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|------|-----|------------------|--------------|------|-----|-----------------------|--------------|------|-----|
| | | अनु० जाति | अनु० जन-जाति | अन्य | कुल | अनु० जाति | अनु० जन-जाति | अन्य | कुल | अनु० जाति | अनु० जन-जाति | अन्य | कुल |
| केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | |
| जवाहर रोजगार योजना | | | | | | | | | | | | | |
| इंदिरा आवास योजना | | | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | | | |
| योग : | | | | | | | | | | | | | |

B. INDIVIDUAL HOUSEHOLD LATRINES FOR HOUSEHOLDS BELOW POVERTY LINE

| Programme | No. of villages taken up | Population benefitted | | | | No. of households benefitted | | | | Expenditure incurred (Rs.) | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------|----|-------|-------|------------------------------|----|-------|-------|----------------------------|----|-------|-------|
| | | SC | ST | other | total | SC | ST | other | total | Sc | ST | other | total |
| CRSP | | | | | | | | | | | | | |
| MNP | | | | | | | | | | | | | |
| JRY | | | | | | | | | | | | | |
| IAY | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |

ग. संस्थागत शौचालय

| कार्यक्रम | शामिल किए गए गांवों की संख्या | निर्मित संस्थागत शौचालयों की संख्या | किया गया खर्च (रुपये) |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | | | |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | | | |
| जवाहर रोजगार योजना | | | |
| इंदिरा आवास योजना | | | |
| अन्य | | | |
| योग : | | | |

C. INSTITUTIONAL LATRINES

| Programme | No. of villages taken up | No. of institutional units constructed | Expenditure incurred (Rs.) |
|-----------|--------------------------|--|----------------------------|
| CRSP | | | |
| MNP | | | |
| JRY | | | |
| IAY | | | |
| Others | | | |
| Total | | | |

घ. महिलाओं के लिए ग्रामीण स्वच्छता परिसर

| कार्यक्रम | शामिल किए गए गांवों की संख्या | महिलाओं के लिए निर्मित स्वच्छता परिसरों की संख्या | लक्ष्यार्थी जनसंख्या | | | | लक्ष्यार्थी परिवारों की संख्या | | | | किया गया खर्च (रुपए) | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|--------------|------|-----|--------------------------------|--------------|------|-----|----------------------|--------------|------|-----|--|--|--|
| | | | अनु० प्रति | अनु० जन-जाति | अन्य | योग | अनु० जाति | अनु० जन-जाति | अन्य | योग | अनु० जाति | अनु० जन-जाति | अन्य | योग | | | |
| केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जवाहर रोजगार योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| योग : | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D. VILLAGE SANITARY COMPLEX FOR WOMEN

| Programme | No. of villages taken up | No. of sanitary complexes for women constructed | Population benefitted | | | No. of households benefitted | | | Expenditure incurred (Rs.) | | |
|-----------|--------------------------|---|-----------------------|----|-------------|------------------------------|----|-------------|----------------------------|----|-------------|
| | | | SC | ST | Other total | SC | ST | Other total | SC | ST | Other total |
| CRSP | | | | | | | | | | | |
| MNP | | | | | | | | | | | |
| JRY | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |

४ गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों को मुहैया कराई गई अन्य स्वच्छता सुविधाएं

| कार्यक्रम | शामिल किए गए गांवों की संख्या | निर्मित सोखता गडदों की संख्या | निर्मित नाले | | उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सुविधा | लाभान्वित जनसंख्या | | | | किया गया खर्च (रुपए में) |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|------|-----|--------------------------|
| | | | संख्या | लम्बाई (मीटर में) | | अनु० जाति | अनु० जन-जाति | अन्य | कुल | |
| केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | | | | | | | | | | |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | | | | | | | | | | |
| जवाहर रोजगार योजना | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | |
| योग : | | | | | | | | | | |

E. OTHER SANITATION FACILITIES PROVIDED TO PERSONS BELOW POVERTY LINE

| Programme | No. of villages taken up | No. of soak pits constd | Drains constructed | | Any other facility provided | Population benefitted | | | | Expenditure incurred (Rs.) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----|-------|-------|----------------------------|
| | | | Number | length (M) | | SC | ST | Other | Total | |
| CRSP | | | | | | | | | | |
| MNP | | | | | | | | | | |
| JRY | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

च. शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलना

| कार्यक्रम | शामिल किए गए गांवों की संख्या | इन गांवों में शुष्क शौचालयों की कुल संख्या | स्वच्छ शौचालयों में बदले गए शुष्क शौचालयों की संख्या | किया गया खर्च (रुपए में) |
|--|-------------------------------|--|--|--------------------------|
| (क) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | | | | |
| (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | | | | |
| (ग) जवाहर रोजगार योजना | | | | |
| (घ) अन्य | | | | |
| (ङ) योग | | | | |

F. CONVERSION OF DRY LATRINES INTO SANITARY LATRINES

| Programme | No. of villages taken up (Nos.) | Total No. of Dry Latrines in these villages | No. of dry latrines converted into sanitary latrines | Expenditure incurred (Rs.) |
|-------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|
| (a) CRSP | | | | |
| (b) MNP | | | | |
| (c) JRY | | | | |
| (d) Others | | | | |
| (e) Total . | | | | |

वार्षिक रिपोर्ट
ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम

वर्ष-----की वार्षिक रिपोर्ट

1. निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत शामिल किए गए गांवों की संख्या
 - क. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
 - ख. राज्य क्षेत्र का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
 - ग. जवाहर रोजगार योजना
 - घ. इंदिरा आवास योजना
 - ङ. अन्य
2. निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत बनाए गए व्यक्तिगत शौचालयों की संख्या
 - क. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
 - ख. राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम
 - ग. जवाहर रोजगार योजना
 - घ. इंदिरा आवास योजना
 - ङ. अन्य
3. लाभान्वित परिवारों की संख्या (हजार में)
 - क. अनुसूचित जनजाति
 - ख. अनुसूचित जाति
 - ग. अन्य
 - घ. कुल
4. निम्नलिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मित संस्थागत शौचालयों की संख्या (ग्राम स्तर की संस्थाएँ आंगनबाड़ी, स्कूल, पंचायत घर)
 - क. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
 - ख. राज्य क्षेत्र का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
 - ग. जवाहर रोजगार योजना
 - घ. अन्य

**ANNUAL REPORT
RURAL SANITATION PROGRAMME**

Name of State/UT :

Annual Report for the year :

1. Number of villages taken up under (Nos.)
 - a. CRSP
 - b. State Sector Minimum Needs Programme
 - c. JRY
 - d. IAY
 - e. others
2. Number of individual units constructed under :
 - a. CRSP
 - b. State Sector Programme
 - c. JRY
 - d. Indira Awas Yojna
 - e. others
3. Number of households benefitted (in thousands)
 - a. STs
 - b. SCs
 - c. others
 - d. Total
4. No. of institutional latrines constructed under (village level institutions Anganwadis, Schools, Panchayat ghar)
 - a. CRSP
 - b. State Sector Minimum Needs Programme
 - c. JRY
 - d. others

5. निम्नलिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं के लिये निर्मित ग्राम परिसरों की संख्या

- क. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
ख. राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)

6. प्रशिक्षण

प्रशिक्षित लोगों की कुल संख्या

- क. राजमिस्त्री
ख. महिलाएं
ग. अनुसूचित जातियां
घ. अनुसूचित जनजातियां
ङ. सरकारी कार्मिक
च. गैर-सरकारी संगठन
छ. अन्य

7. सरकारी निधियों में से किया गया खर्च (लाख रुपए में)

| कार्य सूचना, प्रशासनिक शिक्षा प्रभार** और संचार* | योग |
|--|-----|
|--|-----|

कार्यक्रम

- क. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
ख. राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)
ग. जवाहर रोजगार योजना
घ. इंदिरा आवास योजना
ङ. अन्य
च. यूनीसेफ
छ. लाभार्थियों से अंशदान
ज. कुल निवेश (क से च)

| | | |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |

* वार्षिक आबंटन की 10% की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत

** वार्षिक आबंटन की 3% की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत

5. No. of village complexes for women constructed under :
 - a. CRSP
 - b. State Sector Programme (MNP)

6. Training

Total Numbers Trained

- a. Masons
- b. Women
- c. Scheduled Castes
- d. Scheduled Tribes
- e. Government Personnel
- f. NGOs
- g. Others

7. Expenditure incurred (in lakhs) out of Govt. funds

| | Programme Works | IEC* | Administrative Charges** | Total |
|------------------------------------|-----------------|------|--------------------------|-------|
| a. CRSP | | | | |
| b. State Sector Programme (MNP) | | | | |
| c. JRY | — | — | — | |
| d. IAY | — | — | — | |
| e. others | — | — | — | |
| f. UNICEF | — | — | — | |
| g. Contribution from beneficiaries | — | — | — | |
| h. Total investment (a to f) | | | | |

* Within ceiling of 10% of annual allocation

** Within ceiling of 3% of annual allocation

8. वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित का संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए :—

क. प्रशिक्षण

ख. महिलाओं की भागीदारी

ग. जन स्वास्थ्य शिक्षा, जन-जागरूकता सृजन आदि

घ. राज्य में नोडीय विभाग तथा फील्ड में कार्यान्वयन एजेंसी

ङ. वित्त पोषण का पैटर्न, लाभार्थियों के अंशदान की दर

च. स्वच्छता प्रकोष्ठ द्वारा किया गया कार्य और भूमिका

छ. निर्मित शौचालयों के इस्तेमाल की सीमा

ज. अन्य मदें जिन्हें राज्य/संघ शासित क्षेत्र शामिल करना चाहें।

8. The Annual Report should give a brief description for the following :
 - a. Training
 - b. Women's participation
 - c. Public Health Educatin, awareness creation etc.
 - d. Nodal Department in the State & implementing agency in the field
 - e. pattern of funding, rate of beneficiary contribution
 - f. Role and work done by the sanitation cell
 - g. Extent of use of latrines constructed
 - h. Any other item which the State/UT may like to include